न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पदमा पुत्र जेताजी जाति राजपूत निवासी आमथला तहसील देलदर के कायम मुकाम 1/1 भोपालसिंह पुत्र पदमा, जाति राजपूत, निवासी आमथला 1/2 दलपत सिंह पुत्र पदमा जाति राजपूत, निवासी आमथला 1/3 सुशीला पुत्री पदमा, जाति राजपूत, निवासी आमथला हाल मगरीवाड़ा तहसील रेवदर, जिला सिरोही।		श्री हीरा पुत्र खानाजी जाति राजपूत, निवासी आमथला, तहसील देलदर के मृतक की वारिस भंवर कंवर पुत्री हीराजी पत्नि अभय सिंह जाति राजपूत, निवासी तरतोली, तहसील आबूरोड़ व अन्य – 1

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 37/2013

दिनांक 14/09/2022

–: निर्णय :–

यह राजस्व वाद वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 188, 91ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि वादी की एक कृषि भूमि ग्राम आमथला तहसील देलदर में कब्जा काश्त एवं खातेदारी की निम्न क्षेत्रफल एवं खसरा नंबर वाली स्थित है :–

नये खसरा नंबर	रकबा	पुराने खसरा नंबर	रकबा
696	2–00	566	3–13
695	1–00		

पुराने खसरा नंबर 566 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नंबर 695 रकबा 1 बीघा 696 रकबा 2.00 बीघा बने है। कि वादी की उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा व खसरा नंबर 696 रकबा 2 बीघा पर कब्जा काश्त में है और उस पर लगातार कृषि कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कि वादी अपनी कृषि भूमि में कुंआ खुदवाने हेतु ऋण लेने के आशय से तत्कालीन पटवारी आमथला के पास नकल जमाबंदी लेने गया तो उसे ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में उसका नाम बतौर खातेदार खसरा नं. 696 रकबा 2 बीघा में ही इन्द्राज किया हुआ है जब खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मं हीरा पुत्र खाना राजपूत के नाम दर्ज है। कि उक्त जानकारी होने पर वादी ने तहसील कार्यालय एवं लैण्ड रेकार्ड सिरोही से नकले प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि वादी की कृषि भूमि के पुराने खसरा नं. 566 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के सेंटलमेट के दौरान दो नये खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा एवं खसरा 696 रकबा 2 बीघा बनाये गये थे किंतु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारी ने वादी के राजस्व खाते में खसरा नं. 696 रकबा 2 बीघा का ही बतौर खातेदार इन्द्राज किया तथा शेष खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा का इन्द्राज हीरा पुत्र खाना राजपूत के नाम दर्ज कर दिया था जबकि वादी आमथला में खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा पर पूर्ववतः काबिज काश्त है एवं वही खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा का वास्तविक खातेदार है। कि ग्राम आमथला पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर में स्थित खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर बतौर खातेदार दर्ज करने तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:10:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करें। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 31.07.2000 को जवाबदावा पेश कर कथन किया कि पुराने खसरा नं. 566 के नये खसरा नं. 695, 696 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा नही बने है। कि खसरा नं. 695 की कृषि भूमि प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि है एवं उस पर कब्जा भी प्रतिवादी का लगभग 50 वर्षो से है जिस पर वह लगातार कृषि करता आया है वादी का इस भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कब्जा या काश्त नही रही है। कि वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है जो वादी कतई प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः वादी का वाद खारिज योग्य है। नायब तहसीलदार आबूरोड़ के क्रमांक 599–100 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकन किया गया कि खसरा नं. 695 व 696 में वादी की खातेदारी में मात्र खसरा नं. 696 रकबा 2 बीघा दर्ज है। खसरा नं. 695/1161 रकबा 1 बीघा हीरा पुत्र खाना राजपूत की खातेदारी में दर्ज रेकर्ड है। उक्त इन्द्राज सैंटलमेंट में नही हुआ है हीरा पुत्र खाना राजपूत को तहसील के आदेश क्रमांक/2000/68/73/23.1.68 द्वारा नियमन होने से नामा. क. 4 दिनांक 31.12.75 द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया था।

हमने पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयानो का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन किया तो निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. **आया विवादित कृषि आराजी 695 रकबा 1 बीघा के रेकार्ड में वादी का नाम प्रतिवादी के स्थान पर दर्ज करने की डिक्री** : यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी का था। वादी ने पत्रावली में जमांबदी एवं मिलान क्षेत्रफल दस्तावेज पेश किये लेकिन उक्त दस्तावेजात से वादी का कथन साबित नही रहा है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 695 में 695/1161 रकबा एक बीघा पूर्व से ही हीरा पुत्र खाना राजपूत की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा पेश प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2041–2044 तक में खसरा संख्या 695 काश्तकार हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत के नाम दर्ज होना व प्रतिवादी द्वारा पेश प्रदर्श A 2 गिरदावरी 2024–2029 में खसरा संख्या 695 हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत सा. देह ट्रेशपालर अंकित है। अतः वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात मय साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह बिन्दु वादी के पक्ष में साबित हो सकें। अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. **विरूद्ध प्रतिवादी निषेधाज्ञा जारी करने की डिक्री** : यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि प्रतिवादी उक्त विवादित कृषि आराजी भूमि 695 रकबा 1 बीघा की रिकार्ड खातेदार है अतः रिकॉर्ड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है व प्रथम बिन्दु भी वादी साबित नही कर पाया । अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
3. **विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है** : यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 695 में 695/1161 रकबा 1 बीघा हीरा पुत्र खाना राजपूत की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व वादी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज या पेश नही किया गया जिससे साबित हो सके कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है व वादी द्वारा पेश प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2041–2044 तक में खसरा संख्या 695 काश्तकार हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत के नाम दर्ज होना व प्रतिवादी द्वारा पेश प्रदर्श A 2 गिरदावरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:10:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2024–2029 में खसरा संख्या 695 हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत सा. देह ट्रेशपालर अंकित है। अतः विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

4. **ख.न. 695 की भूमि 1 बीघा प्रतिवादी की खातेदारी की है** : यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा पेश प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2041–2044 तक में खसरा संख्या 695 रकबा 1 बीघा काश्तकार हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत के नाम दर्ज होना व प्रतिवादी द्वारा पेश प्रदर्श A 2 गिरदावरी 2024–2029 में खसरा संख्या 695 रकबा 1 बीघा हीरा पुत्र खाना जाति राजपूत सा. देह ट्रेशपालर अंकित है तथा वाद बिन्दु 1 से 3 के निर्णयानुसार यह वाद बिन्दु भी प्रतिवादी के पक्ष में साबित हो रहा है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

5. **वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । वाद खारिज योग्य है** : यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वाद बिन्दु 1 से 4 के निर्णयानुसार वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। वाद बिन्दु संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण के हक में निर्णित किये गये है। वादीगण ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि मौजा आमथला की खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा का वह वास्तविक खातेदार है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

14.9.22

(कनिष्क कटारिया ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:10:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 37/2013

1. पदमा पुत्र जेताजी जाति राजपूत निवासी आमथला तहसील देलदर के कायम मुकाम
 1/1 भोपालसिंह पुत्र पदमा, जाति राजपूत, निवासी आमथला
 1/2 दलपत सिंह पुत्र पदमा जाति राजपूत, निवासी आमथला
 1/3 सुशीला पुत्री पदमा, जाति राजपूत, निवासी आमथला हाल मगरीवाड़ा तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

वादीगण

बनाम

1. श्री हीरा पुत्र खानाजी जाति राजपूत, निवासी आमथला, तहसील देलदर के मृतक की वारिस भंवर कंवर पुत्री हीराजी पत्नि अभय सिंह जाति राजपूत, निवासी तरतोली, तहसील आबूरोड़ व अन्य – 1

प्रतिवादीगण

दिनांकः– 15 .09.2022

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादी पैरोकार मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि मौजा आमथला की खसरा नं. 695 रकबा 1 बीघा का वह वास्तविक खातेदार है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.................................मुतलिक..............................बाबत......................................खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह.................................. फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15–09–2022 को जारी की गई है।

14.9.22

(कनिष्क कटारिया ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.14 10:10:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner